

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 398 / पटना, दिनांक 18/01/2024
02/नि. स्था. (स.प्र.पदा-1) - 5/2018

प्रेषक,

राजेश भीणा, ना.प्र.से.,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-07070114) के आधार पर सहकारिता विभाग अंतर्गत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु कार्यक्रम संबंधी "प्रेस विज्ञप्ति" का प्रकाशन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रेस विज्ञप्ति की हार्ड कॉपी को इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा

रहा है।

अनुरोध है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा के राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में दो दिनों के भीतर कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथोपरि।

विश्वासभाजन


18/01/24
(राजेश भीणा)

निबंधक,

सहयोग समितियाँ,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक 398 / पटना, दिनांक 18/01/2024

प्रतिलिपि :- जन संपर्क पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18/01/24
निबंधक,

सहयोग समितियाँ,

बिहार, पटना।



बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।
प्रेस विज्ञप्ति

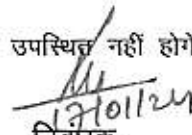
बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 07070114—द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सहकारिता विभाग अन्तर्गत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त (Character & Antecedents) के सत्यापन का कार्य निम्न अनुसार किया जाएगा —

जाँच की तिथि, स्थान एवं समय	रोल नम्बर एवं नाम	
तिथि <u>25.01.2024</u> स्थान — प्रशाखा, 02/नि., कमरा संख्या-235, कार्यालय-निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना विकास भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, पटना। समय — 11:00 AM	103173	सुनील कुमार
	105759	अमर सिंह

प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छाया प्रतियों की दो-दो स्वअभिप्रमाणित प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाए।

1. मैट्रिक अंक प्रमाण-पत्र तथा उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
2. इन्टरमीडियट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
3. अगर अभ्यर्थी पूर्व से किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्य में कार्यरत हो तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
4. अनुमंडल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए)।
5. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु)।
6. सक्षम प्राधिकार से निःशक्तता प्रमाण पत्र (निःशक्तता के आधार पर चयनित अभ्यर्थी के लिए)।
7. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र।
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी अवासीय प्रमाण-पत्र।
9. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त (Character & Antecedents) सत्यापन प्रपत्र दो प्रतियों में अभ्यर्थी अपने साथ लावें। उक्त विहित प्रपत्र सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/cooperative/CitizenHome.html> पर उपलब्ध है।
10. पासपोर्ट साईज का अभ्यर्थी का फोटो जिस पर नाम अंकित हो— पाँच (5)।
11. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही हैं तथा उनके विरुद्ध थाने में अथवा न्यायालय में कोई केश दर्ज नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है तथा पूर्व में किसी फौजदारी मामले में सजा नहीं हुई है। उक्त विहित प्रपत्र सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/cooperative/CitizenHome.html> पर उपलब्ध है।
12. प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

नोट:— जो अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों के साथ जाँच हेतु उपयुक्त कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होंगे उनके अभ्यर्थिता के विरुद्ध विधिसम्मत निर्णय ले लिये जायेंगे।


निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

सत्यापन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की एक
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो
प्रति यहाँ चिपकाएँ

चेतावनी

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है.
2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष-मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए जिसे यह सत्यापन-प्रपत्र भेजा गया है. ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है.
3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं.

1. उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें)	कुलनाम नाम
--	-------------------

2. वर्तमान पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला
अथवा मकान नं., गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर

3. (क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला
अथवा मकान नं., गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर
और जिला मुख्यालय का नाम

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश (पूर्व पूर्वी
पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में रहने
का पता तथा वहाँ से भारत आने की तारीख
का उल्लेख करें.

4. गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें (आवास-अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो. 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें.

से	तक	आवास का पूरा पता (अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं., गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर)	पूर्व कॉलम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5.

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय (यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थायी पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता (उपनामों सहित, यदि कोई हो)					
(ख) माँ					
(ग) पत्नी/पति					
(घ) भाई					
(ङ) बहन/बहनें					

6. उस पुत्र/पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं -

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहे/रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व कॉलम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे हैं?
1	2	3	4	5

7. राष्ट्रीयता

- (क) जन्म तिथि (क) _____
- (ख) वर्तमान आयु (ख) _____
- (ग) मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र में दी गई आयु (ग) _____

8. (क) जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान (क) _____
- (ख) आप किस जिले व राज्य से संबद्ध हैं? (ख) _____
- (ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से संबद्ध हैं? (ग) _____

9. (क) आपका धर्म _____
- (ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ी जाति से संबद्ध हैं? _____
- जिससे संबद्ध हों, उसका नाम लिखें. _____

10. 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें.

पूरे पते सहित स्कूलों/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की ?
1	2	3	4

11. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं? यदि हाँ तो सेवा की तारीखों सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें.

अवधि से तक	पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण
1	2	3	4

(ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी?

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है? क्या नोटिस दिए जाने अथवा सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया?

12. (i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है? हाँ/नहीं
 (ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है? हाँ/नहीं
 (ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है? हाँ/नहीं
 (घ) क्या कभी आपको नज़रबंद किया गया है? हाँ/नहीं
 (ङ) क्या किसी विधि न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है? हाँ/नहीं
 (च) क्या कभी किसी विधि न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है? हाँ/नहीं
 (छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है? हाँ/नहीं
 (ज) क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी किसी परीक्षा/चयन से आपको बहिष्कृत/अयोग्य घोषित किया है? हाँ/नहीं
 (झ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है? हाँ/नहीं
 (ञ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? हाँ/नहीं
 (ट) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया/बहिष्कृत किया गया/निकाला गया? हाँ/नहीं

(ii) यदि यह प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों में कोई उत्तर 'हाँ' है तो उस मुकदमे/ गिरफ्तारी/ हिरासत/ अर्थदंड/दंडादेश/सजा आदि के बारे में और/अथवा किसी न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमे की प्रकृति का पूर्ण ब्योरा दें.

(iii) नोट - (क) कृपया इस प्रपत्र के प्रारंभ में लिखी चेतावनी को भी देखें, तथा (ख) प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर 'हाँ' अथवा 'नहीं', जैसा भी मामला हो, काट कर दिया जाए.

13. अपने क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हों.

1.
2.

14. मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करती हूँ कि मेरे मात्र एक जीवित पत्नी/पति है.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही तथा पूर्ण है. मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के अयोग्य माना/मानी जाऊँ.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

(क) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा पूरा पता

.....
.....

(ख) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया वह पद जिस पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा है.

.....